कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल--462004

क्रमांक/1599/आउशि/851/08 भोपाल, दिनांक 21.8.2008

प्रति,

1. समस्त अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः--विक्रमादित्य योजना अंतर्गत निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालयवार जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् ।

---0---

योजनान्तर्गत सामान्य निर्धन वर्ग के मेधावी छात्रों को जिन्होंने कक्षा 12 वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 42,000/-- रूपये से कम है तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं ऐसे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु आपके क्षेत्रान्तर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालय एवं समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम के छात्रों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर यह अवगत करावें कि किस महाविद्यालय में कितने छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है । ताकि इस कार्यालय से बजट का आवंटन उपलब्ध कराया जा सके ।

उच्च शिक्षा विभाग केवल ट्रेडिशनल (पारम्परिक) महाविद्यालयों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । शेष तकनीकी/चिकित्सा तथा गैर पारम्परिक महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं हेतु संबंधित विभाग अपने स्तर से बजट प्रावधान तथा निःशुल्क शिक्षा से संबंधित आवश्यक कार्यवाही करावेंगे ।

संलग्नः-- गाईड लाइन्स, आवेदन--पत्र का प्रारूप
एवं जानकारी देने हेतु प्रारूप

(हस्ताक्षर)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

पृष्ठांकन क्रमांक 1600/आउशि/छावृ/08 भोपाल दिनांक 21.8.2008

प्रतिलिपिः

1. सचिव,माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश भोपाल
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/पशु चिकित्सा शिक्षा/किसान कल्याण/कृषि विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/पशु चिकित्सा शिक्षा/कृषि संचालनालय

(हस्ताक्षर)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

विषयः—विक्रमादित्य योजना अंतर्गत निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने विषयकः मार्गदर्शी सिद्धांत ।

1. यह योजना शैक्षणिक सत्र 2008—09 के लिये केवल स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों पर लागू होगी

2. छात्र/छात्रा के द्वारा वर्ष 2007—08 हायर सेकेन्डरी (बारहवीं)की परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

3. छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा ।

4. यह योजना केवल निर्धन सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं पर लागू होगी ।

5. अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 42,000/— से अधिक नही होना चाहिये ।

6. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय मूल निवासी प्रमाणपत्र एवं आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

7. यह योजना केवल शासकीय/अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययन रत छात्र/छात्राओं पर लागू होगी ।

8. यह येाजना केवल निशुल्क शिक्षा देने से संबंधित है । अतः शिक्षण शुल्क की वास्तविक राशि जो छात्र/छात्रा के द्वारा संस्था में जमा की जायेगी उसकी प्रतिपूर्ति उच्चशिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी ।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

आवेदन पत्र

विकमादित्य योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र।

(केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिये)

1– छात्र/छात्रा का नामः–..

2– छात्र/छात्रा के पिता/पति का नाम :..

3– मूल निवास का स्थाई पता :...

....

4– वर्तमान पता :..

....

5– कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का वर्षः...

6– कक्षा 12वीं में प्राप्तांक एवं प्रतिशत :..

(हायर सेकेण्ड्री स्कूल की अंक सूची की प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न की जावे।

7– शा0 महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशा0 महाविद्यालय

का नाम जिसमें प्रवेश लिया हो :...

8– संकाय का नाम एवं संकाय का विषय :..

9– मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र...

10– सक्षम अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी आय ....

प्रमाण पत्र जो 42,000/–रू0 से कम का हो प्रमाण पत्र।

11– शिक्षण शुल्क की राशि अंकों में......................(शब्दों में)..

स्थानः–

दिनांकः–

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर एवं नाम

संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणिंत किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....

पिता/पति... इस महावि0...

में स्नातक... प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है इन्होंने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये आय प्रमाण पत्र के अनुसार इनके अभिभावक की वार्षिक आय 42,000/– रूपये से कम है तथा इनसे कुल वार्षिक शिक्षण शुल्क रूपये .... जमा करा लिया गया है/जमा कराया जावेगा।

कार्यलय प्रमुख संस्था के हस्ता0 एवं सील

विक्रमादित्य योजनान्तर्गत सामान्य निर्धन वर्ग के मेधावी छात्रों को निशुल्क शिक्षा हेतु राशि की आवश्यकता बाबत जानकारी (केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिये)

क्र.	महाविद्यालय का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा 12 वीं में प्राप्तांक एवं प्रतिशत	अभिभावक की वार्षिक आय	कक्षा का नाम	कुल शिक्षण शुल्क